राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(4)न्याय/2019 जयपुर दिनांक 21 JAN 2020

अधिसूचना

द बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019 की धारा 8 के अन्तर्गत् प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियम के अधीन प्रकरणों के विचारण हेतु, राज्य के समस्त् जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों को उनकी अपनी- अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाला न्यायालय एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से

21.1.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर। 31

क्रमॉक : सामान्य/II/22/2019/....245 दिनांक:30/01/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/पीठ जयपुर।
2. समस्त जिला एवं सेंशन न्यायाधीश।
3. समस्त मुख्य न्यायिक/महानगर मजिस्ट्रेट।
4. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय/ रा.न्या.से.स्था./ अधी.न्या.स्था./ सांख्यिकी/ भवन/ बजट शाखा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. प्र.अ.न्या., कम्प्युटर सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना की प्रति राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलॉड करे।

31.1.2020

रजिस्ट्रार (नियम)